

आदेश की क्रम
सं० एवं तारीख



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।
(Email id- dccourt.grd@gmail.com)
Mutation Revision No.-01 / 2025
रजनी सिन्हा बनाम मेसर्स कन्हैया हाउसिंग प्रा० लि० एवं राज्य

आदेश पर
गई कार्यवा:
वारे में दि
तिथि सहित

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

२१/५

पुनरीक्षण वादी:- 1. रजनी सिन्हा,
पति-सुधीर कुमार सिन्हा
पता-बरमसीया, गिरिडीह।
उत्तर वादी:- 1. कन्हैया हाउसिंग प्रा० लि० द्वारा
निदेशक मोहन लाल गौरीसरिया
पता-कचहरी रोड, गिरिडीह।
2. राज्य (भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह)

—:आदेश:—

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत Mutation Revision No. 01/2025 के पुनरीक्षण वादी रजनी सिन्हा के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह के द्वारा दाखिल-खारिज अपील वाद सं० 241/2023-24, रजनी सिन्हा बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 के विरुद्ध U/s of Bihar Tenant Holding (Maintenance of Record) Act, 1973 के तहत दायर किया गया है। पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई की स्वीकृति देतु हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई। उत्तरवादी को नोटिस निर्गत कर कारण-पृच्छा दाखिल करने का आदेश दिया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया। उत्तरवादी के अधिवक्ता द्वारा "No Objection Petition" दायर किया गया। पुनरीक्षण वादी के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में दायर आवेदन के बातों को ही न्यायालय में रखा गया, जिसमें मुख्यतः बतलाया गया की निम्न न्यायालय अपील वाद के संचालन की इन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, और भूमि सुधार उपसमाहर्ता, द्वारा इन्हें बिना सूचना, बिना इनके दस्तावेज को देखे Ex-Parte आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है इसलिए इसे Set-aside करते हुए इनके पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

२

उभय पक्षों के अधिवक्ता का अभिकथन को सुनने, दायर दस्तावेज एवं निम्न न्यायालय आदेश के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं:-

1. पुनरीक्षण वादी द्वारा दायर **Sale Deed** के अनुसार वादगत **Property** में 231 वर्ग फीट भूमि बिक्री की गई, जिसका कोई चौहदी दर्ज नहीं है, जो कि भूमि के दाखिल-खारिज हेतु एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
2. उत्तरवादी द्वारा दायर "**No Objection Petition**" में उल्लेखित है कि "**O.P No. 1 have no any objection if the name of the petitioner is being mutated in Govt. offices for the Flat which she has purchased after payment of full consideration money with Satisfication**" इसमें बेची गई **Property** के निमित्त दी गई भूमि के संदर्भ का कोई जिक्र नहीं है।
3. नामांतरण मुकदमा सं० 3246 R27/2022-23/गिरिडीह के स्वीकृति की सूचना पत्र में उल्लेखित अंचल निरीक्षक का मंतव्य स्पष्ट नहीं है एवं भ्रमक है, संबंधित अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षण से इस संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण माँगा जाना चाहिए।
4. पुनरीक्षणवादी को निम्न न्यायालय में सभी दस्तावेज के साथ अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह के द्वारा दाखिल-खारिज अपील वाद सं० 241/2023-24, रजनी सिन्हा बनाम राज्य में दिनांक 27.02.2025 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्ता गिरिडीह को पुनः सभी दस्तावेज के साथ अपीलार्थी का पक्ष सुनने तथा **Bihar Tenant Act, 1973** में निहित प्रावधानों के तहत तार्किक आदेश करने हेतु इस वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह को **Remand** किया जाता है।

वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध करायी जाय।

विधि-व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।